



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

Public Notice

Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students (CSSS)

(Sponsored by Department of Higher Education, Ministry of Education)

Online application for “Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students” for the year 2025-26, 1st Renewal for the year 2024, 2nd renewal for the year 2023, 3rd Renewal for the year 2022 and 4th Renewal for the year 2021 is available on National Scholarship Portal (<http://scholarships.gov.in>). Students may visit the National Scholarship Portal to apply for fresh & renewal of scholarship.

The last date for submission of online application form for renewal and fresh scholarship 2025-26, is 31.10.2025.

All the candidates are advised to apply online within the stipulated time and get their online applications verified by the institutions (if required show the original documents to institute) else the application would be treated as INVALID.

All the Nodal officers of Institute are requested for timely verification (verify/defect/reject) of the online applications at their institute login.

SECRETARY



सार्वजनिक सूचना

महाविद्यालय व विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु केंद्रीय सेक्टर छात्रवृत्ति योजना (सीएसएसएस)
(उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)

वर्ष 2025-26 के लिए "महाविद्यालय व विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु केंद्रीय सेक्टर छात्रवृत्ति योजना", वर्ष 2024 के लिए प्रथम नवीनीकरण, वर्ष 2023 के लिए द्वितीय नवीनीकरण, वर्ष 2022 के लिए तृतीय नवीनीकरण और वर्ष 2021 के लिए चतुर्थ नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (<http://scholarships.gov.in>) पर उपलब्ध है। नई और नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए आवेदन हेतु छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल देख सकते हैं।

वर्ष 2025-26 में नई छात्रवृत्ति और नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 31.10.2025 है।

सभी अभ्यर्थियों को अनुबंधित समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने तथा संस्थानों (यदि अपेक्षित हो तो संस्थान को मूल दस्तावेज दिखाएँ) से अपने ऑनलाइन आवेदन सत्यापित कराने की सलाह दी जाती है अन्यथा आवेदन अमान्य समझा जाएगा।

संस्थान के सभी नोडल अधिकारियों से उनके संस्थान के लॉगिन पर ऑनलाइन आवेदनों का समय से सत्यापन (सत्यापित/त्रुटि/अस्वीकार) करने का अनुरोध किया जाता है।

सचिव